भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2024-25/2024/5791 दिनांक: 04-10-2024

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email)

विषय: **MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS – IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - information as per section 12.1 of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 to be upload on DCI Anti Ragging Online Module by 31.10.2024 – Regarding**

Sub: **भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन एवं शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.1 के अनुसार दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने वाली एंटी रैगिंग रिपोर्ट को दिनांक 31.10.2024 तक डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करने के संबंध में**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की जाएं।

2. उक्त विनियम की धारा 11.3 के अनुसार संस्था के अधिकारी/प्रबंधन (ट्रस्ट, सोसाइटी आदि) विशेष रूप से संस्था के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्था में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना होती है, तो प्रबंधन/प्रमुख उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत और उचित कार्यवाई करेंगे, जिनके कर्तव्य में लापरवाही से घटना हुई है। ऐसे में संस्था के प्रमुख की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी प्रमुख के खिलाफ तुरंत और उचित कार्रवाई करेगा।

3. सभी दंत संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष के शुरू होने से पहले और साथ ही सत्र के बीच में साइनबोर्ड, पैम्फलेट आदि के माध्यम से रैगिंग के खिलाफ विज्ञापन जारी करना चाहिए और साथ ही अपने संस्थानों के सभी छात्रों को एक पुस्तिका जारी करें, जिसमें रैगिंग के बारे में विवरण हो, रैगिंग के दंडनीय अपराधों, रैगिंग के लिए दंड एवं सजा, एंटी रैगिंग स्क्वॉड, एंटी रैगिंग समिति (एंटी रैगिंग हेल्पलाइन), वार्डन, पुरुष और महिला छात्रावास के उप वार्डन के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर का विवरण दिया गया हो।

4. सभी दंत संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य को फ्रेशर और वरिष्ठ छात्रों के बीच समन्वय करने के लिए "काउंसलर" के रूप मे नामित करेंगे ताकि रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए छात्रों (परामर्शदाताओ) के बैचों को दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे मे नियमित रूप से बताया जा सके या समझाया जा सके और उन्हे रैगिंग के खतरे को रोकने मे उनकी भूमिका को संवेदनशील बनाया जा सके।

5. आपसे यह भी अनुरोध है कि बीडीएस/एमडीएस/पीजी डिप्लोमा/पैरा डेंटल कोर्स या डीसीआई द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य कोर्स मे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों (प्रथम से अंतिम वर्ष) और उनके माता-पिता/अभिभावकों से एंटी रैगिंग पर ऑनलाइन www.antiraging.in के माध्यम से वचनपत्र प्राप्त करें और फ़ाइल करें।

6. उपरोक्त के अलावा, यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि संबंधित विनियम की धारा 12.1 के अनुसार, जिस वर्ष मे दाखिला किया जाता है ऐसे प्रत्येक संस्थान को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उक्त विनियमों के विनियम 9.1 और 9.2 के कार्यान्वयन के संबंध मे संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख करना होगा। ऐसा न करने पर भारतीय दंत परिषद, दंत कॉलेजों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए विनियमन, 2009 की धारा 11.4 के अनुसार, संस्थानों पर निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या एक से अधिक संयोजन के साथ दंड लगाएगा:-

11.4.1 दंत्य चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के तहत संस्था के खिलाफ मान्यता रद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करना ।

11.4.2 संस्था की प्रवेश क्षमता को उस सीमा तक कम करना, जिस सीमा तक परिषद उचित समझे।

11.4.3 अगले आदेश तक संस्था मे प्रवेश पर रोक लगाना ।

11.4.4 यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के नवीकरण की अनुमति को रोकने के लिए ।

11.4.6 सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई की वैबसाइट पर संबंधित संस्थान पर लगाए गए दंड के संबंध मे जानकारी पोस्ट करने के लिए।

7. उपरोक्त के संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति और दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार सभी दंत संस्थानों को **एंटी रैगिंग रिपोर्ट, अक्टूबर 2024 को डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपेक्षित जानकारी निश्चित रूप से दिनांक 31.10.2024 तक अपलोड करना अनिवार्य है। एंटी रैगिंग रिपोर्ट, अक्टूबर 2024 को डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड करने के लिए https://portal.dciindia.gov.in/login लिंक का उपयोग करे।** यदि जानकारी डीसीआई एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर दिनांक 31.10.2024 तक अपलोड नहीं की जाती है, दोषी कॉलेज/संस्था का नाम उक्त निगरानी समिति को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा, एवं उनका नाम डीसीआई की वैबसाइट पर भी अपलोड किए जाएगा ।

8. कृपया इसे 'अति तत्काल' समझा जाए।

9. भारतीय दंत परिषद किसी भी प्रकार की रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करती है।

10. यह पुनः दोहराया जाता है कि **केवल DCI एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर अपलोड की गयी एंटी रैगिंग रिपोर्ट, अक्टूबर 2024 पर ही भारतीय दंत परिषद द्वारा विचार किया जाएगा तथा किसी भी हार्ड कॉपी/ ईमेल की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाएगा।**

11. इस परिपत्र का अनुपालन अत्यंत आवश्यक माना जाए क्योंकि **एंटी रैगिंग रिपोर्ट, अक्टूबर 2024 DCI एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल पर दिनांक 31.10.2024 (मध्यरात्रि) तक ही अपलोड कर सकते है, जिसके उपरांत DCI एंटी रैगिंग ऑनलाइन मॉड्यूल स्वत: अक्षम हो जाएगा।**

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, it is the responsibility of all the institution to ensure that no incident of ragging takes place

in their dental institution and measures taken to curb it may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the head.

3. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session and also to issue booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty for ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.

4. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "Counsellor" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (Counselees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.

5. You are further requested to obtain and file undertaking on Anti Ragging, from all parents/guardians and students (1^{st} year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognized by DCI, online through www.antiragging.in

6. Besides above, it is also pertinent to mention here that, as per section 12.1 of subject regulations, each and every institution shall submit its reports by 31^{st} October of every year in which admissions are made, indicating the action taken by institution for implementation of Regulation 9.1 & 9.2 of said regulations failing which the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on the institutions:-

11.4.1. To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948

11.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.

11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.

11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.

11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.

7. In view of the above, I am directed to say that it is mandatory for all the institutions to upload the Anti Ragging Report, October 2024 on DCI Anti Ragging Online Module by using the https://portal.dciindia.gov.in/login link, as per the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court of India and as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, **latest by 31.10.2024, positively. In case the requisite information is not uploaded by 31.10.2024 on DCI Anti Ragging Online Module**, the name of defaulting college/institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for appropriate action and their names will also be uploaded on DCI Website.

8. This may kindly be treated as 'Most Urgent'.

9. The Dental Council of India ensures Zero Tolerance against ragging of any sort.

10. It is again reiterated that **only the uploaded Anti Ragging Report, Oct. 2024 will be considered by the council and no hard copy/emails will be considered as report submission**.

11. Compliance to this circular may be treated as most urgent since **the DCI Anti Ragging Online Module will automatically get disabled for uploading October 2024 Anti Ragging Report after 31.10.2024 (Midnight).**

भवदीय / Yours faithfully,

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2024.10.04 15:58:57 IST
Reason: Reason
Location: Location

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)
उप सचिव / Deputy Secretary
भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

Copy for information to:-

1. श्रीमान सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, (via Email)
(स्वास्थ्य विभाग-डीई अनुभाग),
निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड,
New Delhi, Delhi - 110011.
secyhfw@nic.in

2. श्रीमान उपसचिव (एचई-सीडीएन), (via Email)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
उच्च शिक्षा विभाग, U.5 अनुभाग, शास्त्री भवन,
New Delhi, Delhi - 110001.
s.chander@gov.in

3. कु. चन्द्र कांता भल्ला, अवर सचिव, (via Email)
यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
35 फिरोज शाह रोड,
New Delhi, Delhi - 110001.
kantabhalla.ugc@nic.in

4. डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, (via Email)
यूजीसी,
बहादुर शाह जफर मार्ग,
New Delhi, Delhi - 110001.
archana.ugc@nic.in

5. डॉ. तेजस प्रद्युमन जोशी, संयुक्त सचिव, (via Email)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी,
बनिटो झूरेज मार्ग,
New Delhi, Delhi - 110021.
raggingcell@yahoo.in

6. डॉ. आशु कुमार गुप्ता, (via Email)
डीन, दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय,
हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
Shimla, Himachal Pradesh - 171001.
guptaashumoni@gmail.com

Digitally signed by VINAY GUPTA
Date: 2024.10.04 15:58:57 IST
Reason: Reason
Location: Location

विनय गुप्ता (Vinay Gupta)

उप सचिव / Deputy Secretary

भारतीय दंत परिषद / Dental Council of India

प्रतिलिपि / CC:-

अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली / The President, Dental Council of India, New Delhi